

जनगणना

प्रलिस के ललल:

जनगणना 2011, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, कल्याणकारी योजनाएँ, सरकारी योजना, सार्वजनिक वलतरण प्रणाली ।

मेन्स के ललल:

जनगणना ।

चरचा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के ललल प्रशासनिक सीमाओं को अंतलि रूप देने की अवधल जून 2023 तक बढ़ा दी है, जसके कारण जनगणना 2021 की कवायद में देरी हो सकती है ।

- जनगणना के संचालन के दौरान मकान सूचीकरण के चरण और आबादी की गणना के दौरान राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से जलिलों, कसबों, गाँवों तथा तहसीलों की सीमाओं को बदलने की अपेक्षा नहीं की जाती है ।

वललंब के नहलतारथ:

- राजनीतिक प्रतनलधलतलत्व पर प्रभाव:**
 - जनगणना का उपयोग संसद, राज्य वधलनसभाओं, स्थानीय नकलियों और सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजात के ललल आरक्षणतल सीटों की संख्या नरलधरतल करने के ललल कलल जाता है ।
 - इसललल जनगणना में देरी का अरथ है कवलरष 2011 की जनगणना के डेटा का उपयोग जारी रहेगा ।
 - कई कसबों और यहाँ तक कल पंचायतों में जहाँ पछले दशक में उनकी आबादी की संरचना में तेज़ी से बदलाव हुआ है, का अरथ यह होगा कलली तो बहुत अधकल या बहुत कम सीटें आरक्षणतल की जाएंगी ।
- नरलवाचन कषेत्तर का परसलमन:**
 - वर्ष 2026 के बाद की जनगणना के आँकड़े प्रकाशतल होने तक संसदीय और वधलनसभा कषेत्तरों का **परसलमन** वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जारी रहेगा ।
- कल्याणकारी उपायों पर अवशलवसनीय अनुमान:**
 - वललंब से सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर प्रभाव पड़ेगा तथा इसके परणलमस्वरूप उपभोग, सवास्थ्य एवं रोज़गार पर अन्य सरवेक्षणों से अवशलवसनीय अनुमान प्राप्त होंगे जो नीतल और कल्याण उपायों को नरलधरतल करने के ललल जनगणना के आँकड़ों पर नरलभर करते हैं ।
 - सरकार के खाद्य सबसडी कार्यक्रम सार्वजनिक वलतरण प्रणाली (PDS) से 10 करोड़ लोगों के बाहर हो जाने की संभावना है क्योंकि ललभारथियों की संख्या की गणना के ललल उपयोग कलल जाने वाले जनसंख्या के आँकड़े वर्ष 2011 की जनगणना पर आधारतल हैं ।
- मकान-सूचीकरण का प्रभाव:**
 - पूरे देश के ललल एक संकषपलत मकान सूची तैयार करने में लगभग एक वर्ष का समय लगता है जसका उपयोग प्रगणक पते को जानने के ललल करता है ।
 - मकान-सूचीकरण का मुख्य उद्देश्य उन सभी परिवारों की एक सूची तैयार करना है, जनलका सरवेक्षण जनगणना से पहले कलल जाना है, इसके अलावा आवास स्टॉक सुवधलओं और प्रत्येक परिवार के पास उपलब्ध परसंपत्तलियों पर डेटा प्रदान करना है ।
 - जनसंख्या गणना एक वर्ष के बाद हाउसलसलसलटलग/घरों के सूचीकरण के बाद होती है ।
 - इसललल जनगणना 2011 हेतु सरकार ने अपरैल और सतलंबर 2010 के बीच हाउसलसलसलटलग एवं फरवरी 2011 में जनसंख्या गणना की ।
 - हाउसलसलसलटलग महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अमेरलका के वपलरलत भारत के पास एक मज़बूत एड्रेस ससल्टम नहीं है ।
- प्रवास:**
 - पहले कोवडल लॉकडाउन के दौरान शहरों से राजमार्गों के माध्यम से प्रवासी श्रमकलियों के अपने गाँवों की ओर जाने की तस्वीरों ने उनकी

दुर्दशा को सुर्खियों में ला दिया और प्रवास की संख्या, कारणों तथा प्रतरूप पर सवाल उठाए गए, जिसका नरिाकरण वर्ष 2011 की जनगणना के पुराने आँकड़ों का उपयोग करके नहीं किया जा सकता था।

- उदाहरण के लिये केंद्र के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कपिरत्येक शहर या राज्य में कतिने प्रवासियों के फँसे होने की संभावना है और उन्हें भोजन राहत या परविहन सहायता की आवश्यकता है।
- नई जनगणना में बड़े महानगरीय केंद्रों के अलावा छोटे द्वि-स्तरीय शहरों की ओर प्रवासन प्रवृत्तियों में देखे गए संचलन के दायरे को शामिल करने की संभावना है।
- यह इस सवाल का जवाब देने में मदद कर सकता है कपिप्रवासियों में कनिहें कसि तरह की स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।

जनगणना:

परभाषा:

- **जनसंख्या जनगणना** एक देश या कसिी देश के एक सुपरभाषति हसिसे में सभी व्यक्तियों के वशिषिट समय पर जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा से संबंधति संग्रह, संकलन, वशिलेषण एवं प्रसार की समग्र प्रक्रिया है।
- जनगणना पछिले एक दशक में देश की प्रगति की समीक्षा, सरकार की चल रही योजनाओं की नगिरानी और भवषिय की योजनाओं का आधार है।
- यह कसिी समुदाय का तात्कालिक फोटोग्राफिक चतिर या स्थति प्रदान करती है, जो कसिी वशिष समय पर मान्य है।
- जनगणना जनसंख्या वशिषताओं में प्रवृत्तति भी प्रदान करती है।

आवृत्तति:

- भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है।
 - भारतीय शहर की पहली पूरण जनगणना वर्ष 1830 में हनरी वाल्टर (भारतीय जनगणना के जनक के रूप में जाना जाता है) द्वारा आयोजति की गई थी।
 - गवरनर-जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान वर्ष 1872 में भारत में पहली गैर-समकालिक जनगणना आयोजति की गई थी।
 - पहली जनगणना 1881 में भारत के जनगणना आयुक्त डब्ल्यू.सी. प्लोडेन द्वारा संपन्न कराई गई थी। तब से नरिबाध रूप से हर दस साल में एक बार जनगणना की जाती रही है।
- अन्य देश:
 - कई देशों में हर 10 साल (उदाहरण के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका और बरटिन) और हरपाँच साल (जैसे कनाडा, जापान) या कुछ देशों में अनयिमति अंतराल पर जनगणना कराई जाती है।

नोडल मंत्रालय:

- दशकीय जनगणना गृह मंत्रालय के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजति की जाती है।
- 1951 तक प्रत्येक जनगणना के लिये तदर्थ (Ad-hoc) आधार पर जनगणना संगठन की स्थापना की गई थी।

कानूनी/संवैधानिक स्थति:

- जनगणना अधनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना की जाती है।
 - इस अधनियम के लिये बलि को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वललभभाई पटेल द्वारा नरिदेशति किया गया था।
- जनसंख्या जनगणना भारत के संवधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ सूची का वषिय है।
 - यह संवधान की सातवीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध है।

सूचना की गोपनीयता:

- जनसंख्या की जनगणना के दौरान एकत्र की गई जानकारी इतनी गोपनीय होती है कयिह न्यायिक वषियों हेतु न्यायालय में भी प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।
 - जनगणना अधनियम, 1948 द्वारा गोपनीयता की गारंटी दी गई है। अधनियम के कसिी भी प्रावधान के गैर-अनुपालन या उल्लंघन के लिये कानून सार्वजनिक और जनगणना अधिकारियों दोनों हेतु दंड नरिदषिट करता है।

2021 की जनगणना की वगित जनगणना से तुलना:

- पहली बार डेटा को मोबाइल एप्लीकेशन (गणना करने वाले व्यक्तिके फोन पर स्थापति) के माध्यम से ऑफलाइन मोड में काम करने के प्रावधान के साथ डिजिटल रूप से एकत्र किया जाएगा।
- जनगणना नगिरानी और प्रबंधन पोर्टल जनगणना गतिविधियों में शामिल सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये बहु-भाषा समर्थन प्रदान करने हेतु एकल स्रोत के रूप में कार्य करेगा।
- पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय के कसिी व्यक्ति और परिवार में रहने वाले सदस्यों की जानकारी जुटाई जाएगी।
 - पुरुष और महिला के लिये पहले केवल एक पंक्ति (कॉलम) था।

जनगणना का महत्त्व:

सूचना का स्रोत:

- भारतीय जनसंख्या के कई पहलुओं पर सांख्यिकीय आँकड़ों का सबसे व्यापक एकल स्रोत भारतीय जनगणना है।
- जनगणना डेटा का उपयोग शोधकर्त्ताओं और जनसांख्यिकीविदों द्वारा जनसंख्या वृद्धि एवं प्रवृत्तिका पूर्वानुमान लगाने के लिये किया जाता है।

- **सुशासन:**
 - जनगणना के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग सरकार द्वारा प्रबंधन, योजना और नीतिनिर्माण के साथ-साथ कई कार्यक्रमों के प्रबंधन एवं मूल्यांकन के लिये किया जाता है।
- **सीमांकन:**
 - जनगणना के आँकड़ों का उपयोग नरिवाचन क्षेत्रों के सीमांकन और संसद, राज्य विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों को प्रतिनिधित्व के आवंटन के लिये भी किया जाता है।
 - संसद, राज्य विधानसभाओं, स्थानीय प्राधिकरणों और सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण होने वाली सीटों की संख्या भी जनगणना के परिणामों का उपयोग करके निर्धारित की जाती है।
 - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये सीटें पंचायतों एवं नगरपालिका प्राधिकरणों में जनसंख्या में उनके अनुपात के आधार पर आरक्षण होती हैं।
- **व्यवसायों के लिये बेहतर पहुँच:**
 - जनगणना डेटा व्यवसायों और उद्योगों के लिये योजना बनाने और उनके संचालन को बढ़ाने के लिये महत्वपूर्ण है ताकि वे बाजारों को विस्तारित कर सकें।
- **अनुदान की सुविधा:**
 - वित्त आयोग जनगणना के आँकड़ों से उपलब्ध डेटा के आधार पर राज्यों को अनुदान प्रदान करता है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2009)

1. वर्ष 1951 की जनगणना और 2001 की जनगणना के बीच भारत के जनसंख्या घनत्व में तीन गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।
2. वर्ष 1951 की जनगणना और 2001 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर तीन गुना हो गई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

स्रोत: द हिंदू